

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं०-११६/२०२१

असलम प्रवेज.....वादी
बनाम
मोजम्मिल हुसैन एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>DATE</u>	<u>ORDER</u>	<u>REMARKS</u>
05.09.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 15.02.2022 के आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से दिनांक 15.02.2022 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। <u>आदेश (ORDER)</u> वादी के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 15.02.2022 में कहा गया है कि वादी ने यह वाद वादपत्र की मद सं०-०३ में दी गयी भूमि पर अपने हकियत की घोषणा तथा दखल कब्जे की सम्पूष्टि के साथ स्थायी निषेधाज्ञा तथा प्रतिवादी सं०-०१ का बयनामा दस्तावेज दिनांक 21.05.2021 को शुन्य घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है। वादग्रस्त भूमि के पश्चिम अंश लगभग ढाई धुर पर वादी का चार फीट ऊँचा पक्का नीव अवस्थित है तथा अन्य भाग घरारी योग्य है जो खाली है। प्रतिवादी सं०-०१ बीबी चंदा खातुन से दिनांक 21.05.2021 को फर्जी बयनामा दस्तावेज प्राप्त किये हैं। बीबी चंदा खातुन ने प्रभात विक्रम साह से दिनांक 30.01.2014 को बयनामा लिखवाया है। बीबी चंदा खातुन का बयनामा प्रभात विक्रम साह उस समय निष्पादित किये जब स्वत्व वाद सं०-२७९/२०१२ लंबित था। स्वत्व वाद सं०-२७९/२०१२ प्रभात विक्रम साह ने मुदई एवं अन्य लोगों पर अपनी हकियत की घोषणा तथा वर्तमान वाद के मुदई के बयनामा को रद्द करने के लिए दाखिल किया था। जो अंततः २०१८ में खारिज हो गया। इस तरह बीबी चंदा खातुन का बयनामा आरंभतः शुन्य है। उनको कोई हकियत या दखल कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। अतः मोजम्मिल हुसैन को भी कोई हकियत या दखल कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिवादी सं०-०१ मुदई के दखल कब्जा में मोजाहमत करना शुरू किया तो यह वाद दाखिल करने की आवश्यकता हुई। वादी द्वारा दाखिल वादपत्र में किये गये कथन को भी आवेदन का अंश समझा जाय। वादपत्र में किये गये कथन, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया वाद तथा सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है अगर प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को वादग्रस्त भूमि मद सं०-०३ अर्जी नालिस पर मुदई के दखल कब्जा में इंझट व मोजाहमत या किसी तरह का नजायज निर्माण से नहीं रोका गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः वादी का आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें। दिनांक 16.03.2022 को प्रतिवादी सं०-०१ की ओर से वादी के आवेदन का कारण पृच्छा दाखिल किया गया	

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं०-११६/२०२१

लगातार 05.09.2022	तथा आवेदन कानून एवं तथ्य की दृष्टि से चलने योग्य नहीं बताया गया। प्रभात विक्रम साह को पारिवारिक बंटवारा तथा अपने चाचा से खेसरा सं०-३८२ का ३ बीघा ३ कट्ठा ९ धुर जमीन अन्य जमीन के साथ प्राप्त हुआ है। जिसका जमाबंदी सं०-४८७ प्रभात विक्रम साह के नाम तैयार हुआ। प्रभात विक्रम साह ने अपने हिस्से में मिली जमीन खेसरा सं०-३८२ के पूर्वी हिस्से में जाने के लिए पश्चिम से पूर्व १२ फीट का रास्ता निकाला इस रास्ता के दक्षिण एक कट्ठा जमीन प्रभात विक्रम साह ने अपने जायज जरूरीयात वास्ते बीबी चंदा खातुन को निबंधित बयनामा दस्तावेज दिनांक ३०.०१.२०१४ को बिक्री कर दिया। जिसपर बीबी चंदा खातुन ने पक्का टीन के शेड वाली कोठरी व ओसारा बनवाया तथा तीन दुकान का आगे पश्चिम के तरफ रोड के साईड में ६ फीट ऊँचा दिवार खड़ा किया। बाद में पैसों की जरूरत के चलते प्रतिवादी सं०-०२ ने अपने उक्त १ कट्ठा खरीदगी जमीन का उत्तर वारी १५ धुर को प्रतिवादी सं०-०१ मोजाम्मिल हुसैन को बिक्री कर दखल कब्जा दे दिया। कोठरी खरीदने के पश्चात् प्रतिवादी सं०-०१ ने तीनों दुकान बनवाकर उसमें लोहे का गेट लगवाकर किराये पर दे दिया। अतः उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि उत्तर पत्र के मद न०-०१ की जमीन पर प्रतिवादी सं०-०१ का स्वत्व अधिकार, हकियत तथा दखल कब्जा है। अतः निषेधाज्ञा आवेदन खारिज करने की कृपा किया जाय। दिनांक ०५.०३.२०२२ को प्रतिवादी सं०-०२ की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया गया तथा वादी द्वारा दाखिल आवेदन को कानून एवं तथ्यों के दृष्टि से चलने योग्य नहीं बताया गया है तथा प्रतिवादी सं०-०२ ने भी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं०-०१ का दखल कब्जा बताया है तथा प्रतिवादी सं०-०१ द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर का समर्थन करते हुए वादी के आवेदन को खारिज योग्य बताया। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद वादी के द्वारा प्रतिवादीगणों के विरुद्ध स्वत्व की घोषणा तथा वादी का वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में किसी तरह के झंझट व मोजामहत करने से प्रतिवादी प्रथम पक्ष को हमेशा के लिए रोक देने के लिए किया है तथा दिनांक ३०.०१.२०१४ तथा २१.०५.२०२१ को निष्पादित बयनामा दस्तावेज को आरम्भतः शुन्य घोषित कराने के लिए किया गया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्ण्य क्षति होगी अथवा नहीं तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है? वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रमोद बिक्रम साह के हिस्से की जमीन से दिनांक ३०.०१.२०१२ खेसरा सं०-३८२ की १० धुर भूमि तथा उसी दिनांक को एक अन्य निबंधित बयनामा दस्तावेज से रेहान अंसारी व वादी
---	--

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं०-११६/२०२१

लगातार 05.09.2022	के पक्ष में खेसरा सं०-३८२ की १० कट्ठा १० धुर भूमि एवं दिनांक ०६.०२.२०१२ को कुमारी रशिम साह के हिस्से की खेसरा सं०-३८२ की १२ कट्ठा भूमि निबंधित बयनामा दस्तावेज असलम प्रवेज वादी तथा संजय साह एवं संतोष साह को प्राप्त हुई है।। इस तरह तीनों निबंधित बयनामा दस्तावेज के द्वारा वादी असलम प्रवेज को खेसरा सं०-३८२ में ११ कट्ठा १५ धुर भूमि हासिल हुई तथा वादी उक्त भूमि के दखल कब्जे में चले आये। वादी को तीनों बयदार की आपसी सहमति से उपरोक्त खरीदगी भूमि में बंटवारा करके वादपत्र के मद सं०-०२ में जो भूमि दिया गया है, प्राप्त हुआ। वादपत्र के मद सं०-०२ में दी गई भूमि का अंश १ कट्ठा भूमि इस मुकदमें की वादग्रस्त भूमि है। जबकि प्रतिवादी सं०-०१ को दिनांक २१.०९.२०२१ को प्रतिवादी सं०-०२ के द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में निबंधित बयनामा किया गया तथा प्रतिवादी सं०-०२ के पक्ष में दिनांक ३०.०१.२०१४ को प्रभात विक्रम साह के द्वारा वादग्रस्त भूमि का निबंधित विक्रय बयनामा किया गया। जबकि प्रभात विक्रम साह द्वारा एक स्वत्व वाद सं०-२७९/२०१२ न्यायालय में दाखिल किया गया जिसमें वर्तमान वादी को प्रतिवादी सं०-०५ बनाया गया तथा वादी के पक्ष में किये गये बयनामा दस्तावेज को चुनौती दिया गया था। परंतु स्वत्व वाद सं०-२७९/२०१२ दिनांक ०६.०७.२०१८ को खारिज हो गया। जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रभात विक्रम साह के द्वारा प्रतिवादी सं०-०२ के पक्ष में किया गया बयनामा दिनांक ३०.०१.२०१४ वाद के लंबन के दौरान किया गया। वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वर्ष २०१२ से ही अपना कब्जा बताया गया है। अतः प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत होता है। अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा दाखिल प्रतिवेदन दिनांक २८.०२.२०२२ में वादग्रस्त भूमि के पश्चिम के तरफ में कुछ अंश खाली दर्शाया गया है तथा उत्तर से दक्षिण लंबाई ३० फीट तथा पूरब से पश्चिम चौड़ाई १० फीट बतायी है तथा इस अंश के उत्तर में नींव से करीब तीन फीट लंबा एवं पूर्व से पश्चिम करीब सात फीट चौड़ा नया ईट का पक्का दिवार का निर्माण कराया हुआ बताया है तथा दिवार का निर्माण करीब तीन चार दिन पूर्व ही कराया हुआ बताया है तथा वादग्रस्त भूमि पर भारत मार्का का नया ईट का टुकड़ा तथा आधा ट्रेलर बालू भी गिरा हुआ बताया गया है। अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा प्रतिवेदन पर किसी भी पक्ष द्वारा आपत्ति नहीं है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि पर नवनिर्माण कार्य हुआ है। अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा नया निर्माण कार्य होने से संबंधित फोटोग्राफस भी दाखिल किये गये हैं। अतः सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत होता है। दिनांक २४.०३.२०२२ को अगामी दिनांक १३.०४.२०२२ तक किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण या वादग्रस्त भूमि के हस्तांतरण पर उभय पक्षों पर रोक लगायी गयी थी। न्यायालय का प्रथम कर्तव्य वादग्रस्त भूमि का संरक्षण करने का होता है। दोनों पक्ष अपने अपने
--	---

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं 0-116/2021

लगातार 05.09.2022	निबंधित विक्रय विलेख को सही बता रहे हैं। अभी वाद प्रारंभिक अवस्था में है। अतः उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में वाद के लंबन के दौरान बिना न्यायालय की अनुमति से कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे तथा वादग्रस्त भूमि का किसी भी तरह अंतरण नहीं करेंगे तथा वादग्रस्त भूमि पर वाद के लंबन के दौरान यथास्थित (Status quo) बनाये रखेंगे। वादी के आवेदन दिनांक 15.02.2022 का निस्तारण किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नहीं करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन में न्यायालय का सहयोग करेंगे। वाद दिनांक 17.10.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	
--	---	--